न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—77/2021 (2021/373) वाद पत्र

उनवान

1—मूर्ति बांकेराणी माताजी स्थान देह मंदिर राणास नाबाबेवि जरिये पुजारी शंकरलाल पिता हजारी ढोली निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—उंकार पिता गंगाराम गाडरी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—कमलेश पिता शान्तिलाल महाजन निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—जमनादेवी पत्नि लक्ष्मीलाल ढोली निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—भगवतीलाल पिता लक्ष्मीलाल ढोली निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—कन्हैयालाल पिता लक्ष्मीलाल ढोली निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—कैलाशचन्द्र पिता लक्ष्मीलाल ढोली निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — वादी अधिवक्ता
2. फारूख मोहम्मद — प्रतिवादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—22.03.2022

पत्रावली पेश हुई प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम राणास तहसील रायपुर में मूर्ति बांकेराणी माताजी स्थान देह का मंदिर स्थित है जिसका वादी पुजारी होकर सेवा पूजा अपने पूर्वजो के समय पीढ़ी दर पीढ़ी माताजी की सेवा पूजा करते चले आ रहे है। वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की खातेदारी कृषि आराजियात ग्राम राणास पटवार हल्का बकाण के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 167 में अकिंत आ.स. 259 रकबा 0.02 है0, आ.स. 260 रकबा 0.03 है0, आ.स. 261 रकबा 0.05 है0, आ.स. 262 रकबा 0.07 है0, आ.स. 263 रकबा 0.12 है0, आ.स. 264 रकबा 0.22 है0, आ.स. 265 रकबा 0.22 है0, आ.स. 266 रकबा 0.31 है0, आ.स. 267 रकबा 0.32 है0, आ.स. 268 रकबा 0.23 है0, आ.स. 269 रकबा 0.16 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 1.75 है0 भूमियां स्थित है जो वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादी ने उक्त भूमि स्थित चाह पर विद्युत कनेक्शन ले रखा है। उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजियात में वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है परंतु प्रतिवादी संख्या 1 आये दिन वादी के हक हिस्से में नाजायज दंखलदाजी करता रहता है तथा वादी की भूमि पर अनाधिकृत प्रवेश कर उस पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया तो वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को रोका तो बताया कि मैने भूमि कैलाश, भगवती लाल पिता लक्ष्मीलाल ढोली से खरीदी है [illegible] जबरन कुएं में मोटर का पानी ले जांउगा। वादी को उसके स्वामित्व की भूमि से [illegible] करने का प्रयास कर रहा है जिससे बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी[illegible] निषेध[illegible] की डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि बहक वादी विरू[illegible]वादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावे [illegible] प्रतिवादीगण ग्राम रा[illegible] के खाता संख्या 57 में अकिंत कुल किता 11 कुल रकबा 1.75 है0 भूमि में किसी प्रकार की दंखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे तथा वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 16:53:36 IST
Reason: SelfAttested

करने देवे एवं जबरन ताकत के बल पर वादी की भूमि में अवैध कब्जा नही करे तथा प्रतिवादी संख्या 2 कुएं से अवैध बिजली कनेक्शन लेकर वादग्रस्त चाह से पानी का दोहन नही करे। दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 1 वादी की भूमि पर अवैध कब्जा कर लेवे या प्रतिवादी संख्या 2 के कुएं से अवैध बिजली कनेक्शन लेकर वादग्रस्त चाह मे पानी की मोटर डाल देवे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के अवैध बिजली कनेक्शन व मोटर को हटवाया जाकर कब्जा पुनः वादी को दिलाया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 08.12.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं 4 से 7 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। तथा प्रतिवादी संख्या 3 फॉरमल पक्षकार है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर जवाब में अंकन किया कि वादपत्र में जो अंकन किया गया है जो वादी एवं इनके परिवारजन पुजारी की हैसियत से काश्त करते आ रहे है हमारा इन वादवर्णित भूमि से कोई लेना देना नही है। हम भगवतीप्रसाद, कन्हैयालाल, कैलाशचन्द्र के हिस्से की भूमि पर उनके कहे अनुसार मजदुरी पर बुवाई की है और फसल पिलाई हेतु मुझ प्रतिवादी संख्या 2 से विद्युत कनेक्शन दिया गया था। हमारा वादी की भूमि से कोई लेना देना नही है। प्रार्थना पत्र को रेकार्ड पर लिया जाकर स्वीकार फरमाया जावे। इनके अलावा प्रतिवादी संख्या 4 से 7 की ओर से प्रस्तुत जवाब व काउन्टर क्लेम में अंकन किया कि वादपत्र की कलम संख्या 1 आंशिक स्वीकार है। मूर्ति बांकेराणी माताजी स्थान देह की भूमि ग्राम राणास में स्थित है जिस पर पूर्वजो के समय से सेवा पूजा की जा रही है। पूर्वज अमरा के समय से ही उक्त भूमि का पुजारी की हैसियत से उपयोग उपभोग की जा रही है अन्य कथन गलत होने से अस्वीकार है। काउन्टर क्लेम के रूप में निवेदन किया कि ग्राम राणास के खाता संख्या 167 में अकिंत किता 11 कुल रकबा 1.75 है0 भूमि मूर्ति बांकेराणी माताजी स्थान देह की भूमि ग्राम राणास में स्थित है जिस पर पूर्वजो के समय से ही हमारे व शंकरलाल के उपयोग उपभोग में चली आ रही है। उक्त भूमियों पर चाह बना हुआ है जिससे प्रार्थीगण अपनी फसल की सिचांई करते है। वादी तन्हा रूप से बिजली का कनेक्शन अपने नाम पर कर मोटर डाल रखी है तथा प्रतिवादीगण को उक्त कुएं से पानी निकालने के लिये अड़चन पैदा की जाती है। आये दिन वादी द्वारा उक्त भूमियो के 1/2 हिस्से की भूमि में खड़ी फसल को तारबन्दी बाड़ हटाकर नुकसान पहॅचाया जाता है। उक्त भूमि वादी द्वारा पक्का निर्माण कर रखा है प्रतिवादीगणो को बेदखल करने की गरज से आये दिन परेशान कर भूमि हड़पना चाहता है जिससे प्रतिवादी विरूद्व वादी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः सादर प्रार्थना है कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी इस आशय की जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित आराजियात में 1/2 हिस्से में वादी किसी प्रकार दंखलदांजी, बाधा उत्पन्न नही करे शामलाती चाह के उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक करनें देवे एवं [illegible] अनुसार उपयोग उपभोग करने देवे।

प्रकरण लोक अदाल[illegible] उभयपक्षकारान को सम्बधित अधिवक्ता की उपस्थिति में समझाइश [illegible] स्थिति से भी अवगत कराया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 [illegible] की गई कि राजस्व रेकार्ड में भूमि बांकेराणी माताजी के नाम दर्ज रेकार्ड है आप पक्षकारान का नाम राजस्व रेकार्ड वर्ष 1992 से ही हटा दिया गया है माताजी की सेवा पूजा के बदले भूमि का उपयोग आप बिना किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 16:53:36 IST
Reason: SelfAttested

विवाद के शान्तिपूर्वक अपने अपने हक हिस्से अनुसार करते रहे। एक दुसरा पक्ष किसी भी पक्ष के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे एवं कोई भी पक्ष स्वयं या मजदुरी से अपनी भूमि में काश्त कराना पिलाई कराना, कटाई कराना और निराई आदि का कार्य कराया जाता है तो किसी पक्ष को कोई आपत्ति नही करनी चाहिये इसके साथ ही वर्तमान में वादी के द्वारा जो विद्युत कनेक्शन ले रखा है उसका खर्चा प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है जो वादी की ओर से पिलाई कराने में और विद्युत कनेक्शन के उपयोग में कोई आपत्ति नही करना अवगत कराया गया। साथ ही वादी द्वारा मुख्य रूप से विपक्षी संख्या 1 व 2 के सम्बन्ध में बताया कि उक्त व्यक्ति वादी को नुकसान पहुँचाते है और वादी के साथ देर सवेर कोई घटना या कोई नुकसान कर सकते है जिससे इनको पांबद किया जावे। उक्त वार्ता पर प्रतिवादी 4 से 7 की ओर से सहमति व्यक्त की गई कि वादी के द्वारा जो विद्युत कनेक्शन में जो खर्चा हुआ उसका 1/2 प्रतिवादीगण देने को तैयार है किन्तु वादी के और प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के मध्य पिलाई के आसरे तय कर दिये जाये तो पक्षकारान के मध्य विवाद नही होगा जिसके ओसरा आयेगा उस समय वो ही व्यक्ति मोटर चला कर पिलाई करेगा उस दौरान अन्य पक्ष कोई ऐतराज नही कर सकेगा। इस बात पर दोनो पक्षो द्वारा सहमति व्यक्त की गई इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के द्वारा यह भी कथन किया कि वादी के द्वारा पक्का निर्माण करने से प्रतिवादीगण को अपने हक हिस्से की भूमि में जाने का रास्ता बन्द कर दिया है इस पर वादी द्वारा कहा गया है कि मौके पर रास्ता चालु है फिर भी प्रतिवादीगण को ऐतराज हो तो कुएं की सीध से ही 1/2 हिस्सा कर लेते है जिसमें एक हिस्सेदार उत्तर की तरफ व 1 हिस्सेदार दक्षिण की तरफ की भूमि का उपयोग करे और कुएं को शामलाती रूप से उपभोग करते रहे ताकि कोई भी पक्ष एकदुसरे के हिस्से में दखंल नही दे और ना ही कोई नुकसान पहँचाये इस पर भी दोनो पक्षो सहमति व्यक्त कर इसी अनुसार निर्णय करने हेतु निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर अध्ययन किया तो पाया कि ग्राम राणास के खाता संख्या 167 में अकिंत आ.स. 259 रकबा 0.02 है0, आ.स. 260 रकबा 0.03 है0, आ.स. 261 रकबा 0.05 है0, आ.स. 262 रकबा 0.07 है0, आ.स. 263 रकबा 0.12 है0, आ.स. 264 रकबा 0.22 है0, आ.स. 265 रकबा 0.22 है0, आ.स. 266 रकबा 0.31 है0, आ.स. 267 रकबा 0.32 है0, आ.स. 268 रकबा 0.23 है0, आ.स. 269 रकबा 0.16 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 1.75 है0 भूमि वर्तमान में बांकेराणी माताजी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 7 माताजी स्थान के पूजारी है जिससे उक्त भूमि का उपयोग उपभोग पुजारी की हैसियत से करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 4 से 7 अपने हक हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से मजदुरी पर काश्त कराते है जिस पर वादी का ऐतराज है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी को नुकसान पहुँचाता है और नुकसान बाबत् प्रतिवादी 1 को कहने पर गाली गलोच और मारपीट करना अवगत कराया। इस हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को इस तरह का व्यवहार नही करना चाहिये। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य इस विवाद को समाप्त करने के लिये एवं विद्युत कनेक्शन सम्बन्धी विवाद के लिये भी प्रतिवादी संख्या 4 से 7 वादी की सहमति से आधा खर्चा देने पर विद्युत कनेक्शन का उपयोग कर सकते है और वादी की सहमति नही होने पर प्रतिवादी संख्या 4 से 7 नया कनेक्शन लेने में स्वंतत्र है। जहां नुकसान पहुँचाने की बात है तो जितना रकबा माताजी स्थान देह के नाम दर्ज है उसका दो भाग में विभाजित कर 1 हिस्सेदार उत्तर की तरफ एवं 1 हिस्सेदार का दक्षिण की तरफ का भाग करने पर पक्षकारो के मध्य आपसी विवाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 16:53:36 IST
Reason: SelfAttested

समाप्त हो सकता है और चाह का रकबा शामलाती में उपभोग करते रहे जहां पिलाई के ओसरे सम्बन्धि विवाद है उसके निस्तारण में ओसरे के रूप में दोनो पक्ष चाहे तो 5–5 दिवस के हिसाब से ओसरे तय कर अपनी पिलाई करे या तारीख/सप्ताह फिक्स कर पिलाई करे जिसमें दोनो पक्ष पांबद रहेंगे। इसी अनुसार निर्णय किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद उवं प्रतिवादी संख्या 4 से 7 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम राणास के खाता संख्या 167 में अकिंत आ.स. 259 रकबा 0.02 है0, आ.स. 260 रकबा 0.03 है0, आ.स. 261 रकबा 0.05 है0, आ.स. 262 रकबा 0.07 है0, आ.स. 263 रकबा 0.12 है0, आ.स. 264 रकबा 0.22 है0, आ.स. 265 रकबा 0.22 है0, आ.स. 266 रकबा 0.31 है0, आ.स. 267 रकबा 0.32 है0, आ.स. 268 रकबा 0.23 है0, आ.स. 269 रकबा 0.16 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 1.75 है0 भूमि वर्तमान में बांकेराणी माताजी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसके 1/2 भाग पर वादी एवं 1/2 भाग पर प्रतिवादी संख्या 4 से 7 पुजारी की हैसियत से काश्त कर रहे है जिसमें कोई भी पक्ष एकदुसरे के कब्जे में, पिलाई में, काश्त करने में एवं आवागमन में किसी प्रकार का कोई दखल नही करेगा न अन्य करायेगा एवं कोई भी पक्ष स्वयं काश्त नही कर अगर किसी मजदुर से काश्त करवायेगा तो सम्बधित पक्ष मजदुर के माध्यम से भी दुसरे पक्ष के काश्त एवं पिलाई में कोई दखल नही करेगा एवं ना किसी प्रकार का नुकसान पहुँचायेगा एवं ना किसी तरह से गाली गलोच करेगा। प्रतिवादी संख्या 4 से 7 प्रतिवादी संख्या 1 से काश्त कराये या मजदुरी कराये तो उसको पांबद करे कि वादी की कब्जे काश्त की भूमि में कोई नुकसान नही करें व न किसी प्रकार से गाली गलोच करे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व निषधाज्ञा जारी कि जाती है कि वादी के हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार का दखल नही करे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/03/22
सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 16:53:36 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–77 / 2021 (2021 / 373) वाद पत्र

उनवान

1–मूर्ति बांकेराणी माताजी स्थान देह मंदिर राणास नाबाबेवि जरिये पुजारी शंकरलाल पिता हजारी ढोली निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–उंकार पिता गंगाराम गाडरी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–कमलेश पिता शान्तिलाल महाजन निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–जमनादेवी पत्नि लक्ष्मीलाल ढोली निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–भगवतीलाल पिता लक्ष्मीलाल ढोली निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–कन्हैयालाल पिता लक्ष्मीलाल ढोली निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–कैलाशचन्द्र पिता लक्ष्मीलाल ढोली निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद उवं प्रतिवादी संख्या 4 से 7 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम राणास के खाता संख्या 167 में अकिंत आ.स. 259 रकबा 0.02 है0, आ.स. 260 रकबा 0.03 है0, आ.स. 261 रकबा 0.05 है0, आ.स. 262 रकबा 0.07 है0, आ.स. 263 रकबा 0.12 है0, आ.स. 264 रकबा 0.22 है0, आ.स. 265 रकबा 0.22 है0, आ.स. 266 रकबा 0.31 है0, आ.स. 267 रकबा 0.32 है0, आ.स. 268 रकबा 0.23 है0, आ.स. 269 रकबा 0.16 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 1.75 है0 भूमि वर्तमान में बांकेराणी माताजी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसके 1/2 भाग पर वादी एवं 1/2 भाग पर प्रतिवादी संख्या 4 से 7 पुजारी की हैसियत से काश्त कर रहे है जिसमें कोई भी पक्ष एकदुसरे के कब्जे में, पिलाई में, काश्त करने में एवं आवागमन में किसी प्रकार का कोई दखल नही करेगा न अन्य करायेगा एवं कोई भी पक्ष स्वयं काश्त नही कर अगर किसी मजदुर से काश्त करवायेगा तो सम्बधित पक्ष मजदुर के माध्यम से भी दुसरे पक्ष के काश्त एवं पिलाई में कोई दखल नही करेगा एवं ना किसी प्रकार का नुकसान पहुँचायेगा एवं ना किसी तरह से गाली गलोच करेगा। प्रतिवादी संख्या 4 से 7 प्रतिवादी संख्या 1 से काश्त कराये या मजदुरी कराये तो उसको पांबद करे कि वादी की कब्जे काश्त की भूमि में कोई नुकसान नही करें व न किसी प्रकार से गाली गलोच करे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध निषधाज्ञा जारी कि जाती है कि वादी के हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार का दखल नही करे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 22.03.2022 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 16:53:36 IST
Reason: SelfAttested

22/3/2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा